

## शराब कारोबारी से मांगी 50 हजार रुपए की रंगदारी, बदमाश बोले- न दी तो मार देंगे गोली

करनाल। शराब कारोबारी से 50 हजार रुपए मंथली मांगने का मामला प्रकाश में आया है। वार्ड-14 तरावड़ी वासी निखिल मुंजाल ने शिकायत दी कि वह, गुरजंट व रवि तरावड़ी में शराब का कारोबार करते हैं। 13 अगस्त को उसके मोबाइल पर उसके दोस्त सरबू के फोन नंबर से कॉल आई। उस पर मोनू ने बात की।

उसने हर महीने 50 हजार रुपए की डिमांड की। धमकी दी गई कि पैसे नहीं दिए तो उसे और उसके साथी गरजंट को गोली मार देंगे। धमकी दी कि हम तुम्हारी रैकी कर रहे हैं। उसने पैसे देने से मना कर दिया तो जान से मारने की धमकी देकर आरोपी ने फोन काट दिया। उसने बाद में अपने दोस्त सरबू के फोन पर पूछा तो सरबू ने कहा कि मोनू उसके पास आया था और उसने फोन किया था। आरोपी फोन बदलकर उसको कॉल कर रहा है। तरावड़ी थाना पुलिस ने आरोपी मोनू के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

## कांग्रेस पार्टी ने दिया सभी वर्गों को मान सम्मान : सुमिता सिंह



करनाल। सुमिता सिंह पर्व विधायक करनाल के निवास स्थान पर उनके नेतृत्व में जागीर सेनी जिला प्रधान कांग्रेस सेवादल करनाल की कार्यकारिणी के साथ 77 वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय झंडा राष्ट्रीय गान के साथ लहराया गया लड़ुओं का प्रसाद भी वितरण किया गया। इस मौके पर सुमिता सिंह ने कहा कि कांग्रेस सेवादल सभी उपस्थित में वर को कांग्रेस को मजबूत करें कांग्रेस की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में गरीब, किसान, व्यापारिक व मजदूर वर्ग को बराबर का मान सम्मान दिया गया था, लेकिन भाजपा सरकार ने प्रदेश में बरोजगारी महंगाई व भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, हर क्षेत्र में प्रदेश की जनता के साथ भेदभाव किया। कांग्रेस पार्टी में प्रदेश की जनता के हित सुरक्षित है, कांग्रेस हमेशा आमजन व कार्यकर्ताओं की हितेष्वरी ही है। प्रदेश की जनता अब चुनाव की इंतजार कर रही है ताकि भाजपा सरकार के कुशासन से मुक्ति मिल सके। इस मौके पर करनाल सेवा दल की सारी टीम मौजूद रही, सेवादल के अशोक कंबोज, सुनील कुमार, नरेंद्र कुमार अधीय(जोगा), परमजीत वाल्मीकि, कर्म सिंह बुकल, अनु सिंगला, सतोष तेजन, पृथ्वी सिंह भाट, राज वालिया, अशोक कुमार, सतीश वाल्मीकि, सुमन देवी, मदन लाल, पुनीत, अशोक सोही, रिंकू वर्मा, अमित कुमार, रवि कुमार, महंत सिंह, वीरेंद्र शर्मा, कार्तिक, नेहा पाहवा, नीलम मल्होत्रा, सरोज राणा, सुषमा राणा, रितिका, विशु, करण सिंह बाल्मीकि, डॉ. रामफल, शिव शर्मा आदि मौजूद रहे।

## जिला कारागार करनाल में लगी स्पेशल लोक अदालत

करनाल। मुख्य दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डलसा), करनाल जसबीर कौर द्वारा जिला कारागार करनाल में स्पेशल जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जेल लोक अदालत में 4 अंडर ट्रायल प्रिजनस के केसों का चयन किया गया। इनमें तीन केस की सुनवाई हुई।

सीजेएम जसबीर कौर ने बताया कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण करनाल के द्वारा हर माह के पहले और तीसरे बुधवार को जेल में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कैदियों से आग्रह किया कि अगर किसी के पास उसकी केस की पैरवी करने के लिए वकील नहीं है तो वह सुपरिटेंडेंट जिला कारागार करनाल के माध्यम से अपना प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण करनाल को भेज सकते हैं। अर्थारिटी के द्वारा उसको पैनल अधिवक्ताओं में से किसी एक को उसके केस की पैरवी करने के लिए नियुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बच्चों, वरिष्ठ नागरिक, अनुसूचित जाति व जनजाति या आम नागरिक जिसकी सभी स्त्रीयों से आय 3 लाख रुपये से कम है ऐसे व्यक्ति मुफ्त कानूनी सलाह या मुफ्त कानूनी सहायता पाने का हकदार है। इस दौरान सुपरिटेंडेंट जिला जेल कारागार अमित भादू उपस्थित रहे।

डिटी सुपरिटेंडेंट शैलाक्षी भारद्वाज एवं जसवंत सिंह ने सीजेएम को आश्वस्त किया कि वह लोग सप्ताह में एक बार सभी कैदियों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं और बताते हैं कि यदि किसी के पास कोई वकील उसके केस की पैरवी करने के लिए न हो तो जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, करनाल के द्वारा उसे निश्चल प्रदान किया जाएगा।

## 9 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का हो निस्तारण: जिला एवं सत्र न्यायाधीश

करनाल। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करनाल जसबीर कौर ने बताया कि करनाल में 9 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इसमें दुर्घटना के दावे, चेक बाउंस, बैंक वसूली, जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित दीवानी विवाद, घरेलू हिंस अधिनियम आदि से संबंधित मामलों सहित कंपाउंडेबल अपराधों के आपाराधिक मामलों निस्तारण आपसी सहमति से किया जाएगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निस्तारण किया जाए। इसके लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करनाल चंद्रशेखर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में मंडल प्रबंधक राष्ट्रीय बीमा कंपनी समीर धवन, जिला अग्रणी प्रबंधक एसके हंदूजा, एडवोकेट, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी अशोक वोहरा, ओरेंटल इंश्योरेंस कंपनी और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भैठक का आयोजन किया गया।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर ने प्रतिभागियों को बताया कि लोक अदालत वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों में से एक है। यह एक ऐसा मंच है जहां अदालत में या पूर्व मुकदमेबाजी के स्तर पर लंबित विवादोंमालों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। अधिकारियों से कहा कि मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों के अधिक से अधिक केसों का निराकरण किया जाए। इस संबंध में गंभीर प्रयास के लिए जाए ताकि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों के समक्ष लम्बित प्रकरणों का निराकरण किया जा सके। उन्होंने बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों और प्रमुख प्रबंधक को मोटर दुर्घटना दावा मामलों के निपटान के लिए मोटर दुर्घटना दावा मामलों से भैठक का कोई प्रावधान नहीं है।



संबंधित 13 मई 2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान उनके द्वारा किए गए सराहनीय योगदान के लिए धन्यवाद किया।

सभी न्यायिक अधिकारियों से उन्होंने आग्रह किया कि वे अनेकाली साथी राष्ट्रीय लोक अदालत को ज्यादा से ज्यादा केसों का निपटारा करें ताकि न्यायालयों में लंबित मामलों को कम किया जा सके और लोगों को न्याय की लम्बी प्रक्रिया से छुटकारा मिले। बताया कि लोक अदालतों को कानूनी सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है। उक्त अधिनियम के तहत, लोक अदालतों द्वारा किए गए निर्णयों को एक सिविल कोर्ट का डिक्री माना जाता है, यह अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है और इस तरह के एक पुरस्कार के खिलाफ कोई अपील किसी भी अदालत में नहीं होती है। यदि लोक अदालत के अधिनियम से पक्षकार संतुष्ट नहीं हैं, हालांकि इस प्रकार के अधिनियम के विरुद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं है।

लोक अदालत में मामला दायर करने पर कोई न्यायालय शुल्क देय नहीं है। यदि न्यायालय में लंबित कोई मामला लोक अदालत में भेजा जाता है और बाद में निपटारा हो जाता है तो शिकायतों-

## केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी को बर्खास्त किया जाए : त्रिलोचन सिंह

करनाल। कांग्रेस ने राष्ट्रीय प्रति से मांग की है कि राहुल गांधी पर झूठ आरोप लगाने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी को बर्खास्त किया जाए। करनाल कांग्रेस के 31 सदस्यीय दल ने जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह की अगुवाई में जिला संचावालय में ड्यूटी मजिस्ट्रेट को राष्ट्रीय प्रति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर क्रिलोचन सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत संसद में बैठकर केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी ने राहुल गांधी पर जो झूठे आरोप लगाए हैं, उससे उनकी घटिया मानसिकता उजागर हो गई है। देश ही नहीं पूरी दुनिया स्मृति इरानी को झूठा बता रही है। ऐसी मंत्री संसद में बैठने के लायक नहीं हैं।

पूर्व विधायक एवं करनाल प्रभारी लहरी सिंह, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रघबीर संधु व कृष्ण शर्मा बसताड़ा ने कहा कि राहुल गांधी के दादा-दादी ने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। राहुल गांधी कभी महिलाओं का अपमान नहीं कर सकते। पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष अशोक खुराना, कांग्रेस नेत्री राजीना कांबोज व सतपाल जाणी ने कहा कि स्मृति



ललित अरोड़ा, राजीना कांबोज, नियेंद्र मान, अमरजीत धीमान, सतपाल जाणी, रोहित जोशी, धर्मपाल कौशिक, सुरजीत सैनी, परमजीत भारद्वाज, गगन मेहता, सुषमा नागपाल, अनिल शर्मा, जागीर सैनी, जोगा अधीय, अंशुल लाठर, हरद्वारी लाल, सूरज लाठर, अविनाश, अवनीश भार्गव, जितेंद्र शर्मा, पृथ्वी भाट, सोनी कुटेल, सर्वजीत, जरनेल सिंह, निमी सलमानी, प्रकाश, रोहताश पहलवान, प